

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

**ORIGINAL APPLICATION NO. 611 OF 2025**

**IN THE MATTER OF:**

**PAPPU**

**....APPLICANT**

**VERSUS**

**STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.**

**.....RESPONDENT(S)**

**INDEX**

<b>S. NO</b>	<b>PARTICULARS</b>	<b>PAGE NO.</b>
1.	RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 2 DIVISIONAL FOREST OFFICER, KASGANJ IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 08.12.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL	
2.	A COPY OF THE SAID LETTER DATED 27.01.2026 IS BEING ANNEXED HERewith AS <i>ANNEXURE-1</i> .	
3.	A COPY OF THE SITE INSPECTION REPORT DATED 20.02.2026 IS BEING ANNEXED HERewith AS <i>ANNEXURE-2</i> .	
4.	A COPY OF THE SAID APPLICATION DATED 05.04.2025 IS BEING ANNEXED COLLECTIVELY HERewith AS <i>ANNEXURE-3</i> .	

5.	A COPY OF THE SAID LETTER DATED 22.07.2025 IS BEING ANNEXED HEREWITH AS <i>ANNEXURE-4</i> .	
6.	PHOTOGRAPHS OF CUT AND UNCUT TREES TAKEN UPON THE SITE INSPECTION DATED 17.02.2026 ARE BEING ANNEXED HEREWITH AS <i>ANNEXURE- 5</i> .	
7.	A COPY OF THE RELEVANT REVENUE RECORDS ALONG WITH THE NAZRI NAKSHA ARE COLLECTIVELY BEING ANNEXED HEREWITH AS <i>ANNEXURE-6</i> .	
8.	A COPY OF THE SAID KHASRA RECORDS ARE BEING ANNEXED HEREWITH AS <i>ANNEXURE-7</i>	

*THROUGH COUNSEL*



BHANWAR PAL SINGH JADON  
STANDING COUNSEL FOR THE DFO, KASGANJ  
[EMAIL-bhanwar09jadon@gmail.com](mailto:EMAIL-bhanwar09jadon@gmail.com)  
PHONE NO.-6375115224

**DATE: 28.03.2026**  
**PLACE: NOIDA**

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 611 OF 2025



IN THE MATTER OF:

PAPPU

....APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.

.....RESPONDENT(S)


RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 2 DIVISIONAL  
FOREST OFFICER, KASGANJ IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT.  
08.12.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

I, Sanjeev Kumar aged about 38 years S/o Sh. Ghanshyam Prasad, presently posted as Divisional Forest Officer, Kasganj do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I, the deponent in the above captioned matter am fully conversant with the facts of the case and is competent and authorized to swear the present affidavit.
2. That I state that the contents of the affidavit have been drafted by my counsel

**RAM BABU**  
Advocate Notary  
Ten. KASGANJ  
27-3-26

on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.



### *BACKGROUND OF THE MATTER*

3. The applicant has raised grievances regarding illegal felling of trees by the persons named in the original application from his land situated in Village Longpur, District Kasganj (Kashiram Nagar).
4. That the Hon`ble Tribunal vide its order dated 08.12.2025 had directed the following:

*“7. Prima facie the averments made in the application raise substantial questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule-I to the National Green Tribunal Act, 2010.*

*8. In view of the averments in the application, we consider it appropriate to have response of (1) State of U.P., through District Magistrate, Kasganj (Kashiram Nagar) (2) Divisional Forest Officer, Kasganj (Kashiram Nagar), (3) Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) through Member Secretary (4) Sonpal S/o Hakim Singh, R/o Longpur (5) Vinod Kumar S/o Sonpal, R/o Longpur (6) Vijay Babu R/o Sidhpura, R/o Longpur*

**RAM BABU**  
Advocate Notary  
Teh. Kasganj  
27-3-2026

(7) *Vikas Babu S/o Mahesh Chandra R/o Longpur who stand impleaded as respondents No. 1 to 7.*"



*REPLY IS AS FOLLOWS*

**I. DIRECTIONS ISSUED TO THE DFO & ADM(J)**

5. It is submitted that in compliance of the orders of the Hon`ble Tribunal, the District Magistrate, Kasganj vide letter dated 27.01.2026 directed the: 1. *Divisional Forest Officer (DFO), Kasganj* and 2. *Additional District Magistrate (ADM), Kasganj*, to conduct an on-site inspection, thereby looking into the complaints made by the Applicant and sought a factual report of the same.

A copy of the said letter dated 27.01.2026 is being annexed herewith as ***ANNEXURE-1.***

**II. SITE INSPECTION CONDUCTED ON 17.02.2026**

6. It is submitted that in consonance of the above, the DFO, and the ADM, Kasganj, conducted a site inspection on 17.02.2026 in presence of both the parties, namely Sonpal and Baburam as well as the villagers.

A copy of the site inspection report dated 20.02.2026 is being annexed herewith as ***ANNEXURE-2.***

**RAM BABU**  
Advocate-Notary  
Teh. KASGANJ  
27-3-26

7. That further, during the inspection, it was found that Sonpal, S/O Hakim Singh, resident of Village Longpur, Pargana Sidhpura, Tehsil Patiyali, District Kasganj, owner of the Gata No. 187, had submitted an application dated 05.04.2025 to the Office of the DFO, seeking permission for felling 12 Jamun trees U/S 5(1) of the U.P Tree Protection Act, recorded on Gata No. 187, which has an area of 0.465 hectares.


A copy of the said application dated 05.04.2025 is being annexed collectively herewith as *ANNEXURE-3*.

### III. PERMISSION GRANTED BY THE DFO TO FELL 12 JAMUN TREES

8. Subsequently, the Office of the DFO, vide letter dated 22.07.2025 granted permission for the felling of 12 Jamun trees in accordance with rules vide Permission No. 5768051, Letter No. 119/22-1, and took a sum of 12,000 at the rate of 1000 Rupees per tree (12 trees) as part of 10 times the compensatory afforestation for planting 120 saplings. That further, the compensatory afforestation would be carried out in the Monsoon of 2026.

A copy of the said letter dated 22.07.2025 is being annexed herewith as *ANNEXURE-4*.

RAM BABU  
Notary  
Teh. Kasganj  
27-3-26



9. That after obtaining permission from the DFO, Sonpal carried out felling of 5 trees that are as follows: 01 Jamun, 02 Papdi, 01 Bakaina, and 01 Eucalyptus tree. Further, before further felling could take place, Baburam, S/O Shri Ganesh, along with his family members, objected claiming ownership over the trees. To avoid any untoward situation, the Forest Department issued directions to stop any further felling.

Photographs of cut and uncut trees taken upon the site inspection dated 17.02.2026 are being annexed herewith as **ANNEXURE- 5**.

#### IV. RELEVANT REVENUE RECORDS

10. It is pertinent to mention here that as per the relevant revenue records, it has been disclosed that:

- i. Gata No. 187, area 0.465 hectares, is recorded in the name of Sonpal, S/O Shri Hakim Singh; and
- ii. Gata No. 188, area 1.0200 hectares, is recorded as transferable land in the name of Baburam, S/O Shri Ganesh, resident of Village Longpur, Pargana Sidhpura, Tehsil Patiyali, District Kasganj.

A copy of the relevant revenue records along with the nazri naksha are collectively being annexed herewith as **ANNEXURE-6**.

11. That it is also material to mention here that, that in the relevant Khasra Records of both Gata No.s 187 owned by Sonpal and 188, owned by Baburam, the total no. of trees and crops have been disclosed in Khasra records.

A copy of the said Khasra Records are being annexed herewith as **ANNEXURE-**

7

12. That the Deponent, being duty-bound under law, is committed to ensuring strict compliance with all directions of this Hon'ble Tribunal and undertakes to adhere to any further orders or instructions issued hereafter, without demur or delay.

13. Hence, the present response is being submitted for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal and it is prayed that the same be taken on record.

  
DEPONENT

**RAM BABU**  
Advocate/Notary  
Teh. K. S. GANJ




VERIFICATION

Verified at Kasganj on this 27 day of March, 2026, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 13 are true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

RAM BABU  
Advocate Notary  
Teh. KASGANJ  
27-3-26

Presented/Executed before me at Kasganj by identified/Verified by Shri. Ram Babu Advocate, Kasganj, Regd. No. 11(12)1999, Govt. of Uttar Pradesh on 27-3-26.



## नोट शीट

## ANNEXURE-1

मुख्य विकास अधिकारी / जिलाधिकारी, कासगंज

महोदय,

अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली का आदेश दिनांक 08.12.2025, (पताका-क) (मूल आवेदन संख्या 611/2025 – Pappu बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में पारित आदेश के क्रमांक 12 के अंतर्गत तथ्यों के सत्यापन एवं उपयुक्त उपचारात्मक कार्यवाही सुझाने हेतु एक संयुक्त समिति का गठन किया जाना है।

उक्त संयुक्त समिति में जिलाधिकारी, कासगंज (काशीराम नगर) के प्रतिनिधि तथा प्रभागीय वनाधिकारी, कासगंज को सम्मिलित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। समिति को स्थल निरीक्षण कर, आवेदक की शिकायतों की जाँच करते हुए तथ्यात्मक रिपोर्ट अति शीघ्र माननीय अधिकरण को प्रस्तुत करनी है। साथ ही, जिलाधिकारी महोदय को इस प्रकरण में नोडल एजेंसी नामित किया गया है।

अतः सहमति की दशा उपर्युक्त प्रकरण में माननीय NGT के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारी स्तर से एक प्रतिनिधि नामित कर हस्ताक्षर करना चाहें।

ADM J नामित



(संजीव कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,  
वन विभाग कासगंज।



मुख्य विकास अधिकारी,  
कासगंज।



27/01/26

जिलाधिकारी,  
कासगंज।

जिलाधिकारी  
कासगंज।

महोदय,

कृपया संलग्न पत्र संख्या-MINPA/E/2025/0000775/11.02.2026 मा0 न्यायालय ग्रीन ट्रिब्यूनल, फरीदकोट हाउस कोपरनिकस मार्ग नई दिल्ली का अवलोकन करने का कष्ट करें। मा0 न्यायालय (कोर्ट नं0-2, आइटम नं0-07) में विचाराधीन ओर्जीनल एप्लीकेशन नं0-611/2025 पप्पू बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में दिनांक 09.02.2026 निम्न निर्देश दिए गए हैं-

01. प्रतिवादी संख्या-04 से 07 को इस न्यायालय के नोटिस का तामीला कराकर तीन दिवस में तामीला रिपोर्ट न्यायालय को प्रेषित किया जाए।
02. प्रकरण के सम्बन्ध में संयुक्त जाँच आख्या दो सप्ताह में न्यायालय को प्रेषित किया जाए।

मा0 न्यायालय के उपरोक्त निर्देश के अनुपालन हेतु आपके आदेश दिनांक 27.01.2026 द्वारा हम द्वय अधिकारियों प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग कासगंज एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक) कासगंज की संयुक्त समिति गठित की गई। हम द्वय अधिकारियों की संयुक्त समिति द्वारा मा0 न्यायालय ग्रीन ट्रिब्यूनल के उपरोक्त आदेश के क्रम में आवश्यक जाँच एवं कार्यवाही की गई है, जो निम्नवत् है:-

#### 01- नोटिस तामीला विषयक

गठित समिति द्वारा प्रतिवादी संख्या-04 से 07 को मा0 न्यायालय के नोटिस के सम्बन्ध में दिनांक 17.02.2026 को अनुपालन कराया गया। प्रतिवादी संख्या-01 सोनपाल पुत्र श्री हाकिम सिंह, प्रतिवादी संख्या-02 विनोद कुमार पुत्र श्री सोनपाल, प्रतिवादी संख्या-04 विकास बाबू पुत्र श्री महेश चन्द्र सभी निवासी ग्राम लौंगपुर परगना सिद्धपुरा तहसील पटियाली जनपद कासगंज को नोटिस का तामीला व्यक्तिगत रूप से कराया गया है। प्रतिवादी संख्या-03 विजय बाबू के मौके पर अनुपस्थित होने के कारण दो गवाहान के समक्ष नोटिस इनके मकान पर चस्था करते हुए तामीला कराया गया है। तामीला सम्बन्धी रिपोर्ट दिनांक 18.02.2026 को ई-मेल द्वारा तथा स्पीड-पोस्ट द्वारा मा0 न्यायालय को प्रेषित किया जा चुका है।

#### 02- प्रकरण की स्थलीय व अभिलेखीय जाँचोपरान्त आख्या

प्रकरण की जाँच के सम्बन्ध में पक्षकारों को पूर्व सूचना के आधार पर हम द्वय की संयुक्त समिति द्वारा स्थल पर दिनांक 17.02.2026 को जाँच किया गया। जाँच के समय दोनों पक्ष तथा अन्य ग्रामवासी मौके पर उपस्थित थे। स्थल पर जाँच के समय के फोटोग्राफ्स तथा उभयपक्षों के बयान आख्या के साथ संलग्न है। जाँच के दौरान यह पाया गया कि वर्तमान में घटना स्थल पर जामुन के 01, पापड़ी के 02, बकेंना के 01 तथा यूकेलिप्टस के 01 वृक्षों का कटान किया गया है। यह सभी वृक्ष मौके पर पाये गये। इनमें से जामुन वृक्ष ही प्रतिबन्धित प्रजाति की श्रेणी में आता है। उभयपक्षों द्वारा इन कटे हुए वृक्षों के साथ-साथ मौके पर स्थित अन्य बिना कटे हुए वृक्षों को अपना-अपना बताया जा रहा है। इन कटे वृक्षों के अतिरिक्त मौके पर यूकेलिप्टस के 10, बकेंना के 02, जामुन के 15, पाकड़ के 17 तथा शीरीस प्रजाति के 01 वृक्ष खड़े एवं हरे-भरे पाए गए। मुख्य विवाद इन वृक्षों के स्वामित्व को लेकर है।

राजस्व अभिलेखों में गाटा संख्या-187 क्षेत्रफल 0.465 है0 सोनपाल पुत्र श्री हाकिम सिंह के नाम से तथा गाटा संख्या-188 क्षेत्रफल 1.0200 है0 बाबूराम पुत्र श्री गनेश नि0 ग्राम लौंगपुर परगना सिद्धपुरा तहसील पटियाली जनपद कासगंज के नाम संक्रमणीय (ड्रान्सफेरेबुल) भूमि के रूप में दर्ज है। गाटा संख्या-188 के भूमिधर/स्वामी बाबूराम पुत्र श्री गनेश द्वारा अपनी भूमि गाटा संख्या-188/1.0200 है0 के सीमांकन हेतु न्यायालय उप जिलाधिकारी

क्रमशः पृष्ठ 2 पर.....





तहसील पटियाली में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 24 के अन्तर्गत 01 वाद T202418750202127 दायर किया गया। न्यायालय द्वारा सुनवाई के उपरान्त अपना आदेश दिनांक 24.04.2024 को पारित किया गया। उल्लेखनीय है कि इस वाद में प्रतिवादी सोनपाल पुत्र श्री हाकिम सिंह द्वारा दिनांक 04.03.2024 को अपनी आपत्ति/पक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के उपरान्त आदेश पारित किया गया है। इस आदेश के पारित होने के उपरान्त स्थल पर इसका अनुपालन भी दिनांक 26.06.2024 को कराया जा चुका है। जाँच के समय सीमांकित स्थल पर सीमांकन पिलर तथा तार फेंसिंग पाया गया। इस सीमांकन एवं अनुपालन के पश्चात उपरोक्त वर्णित सभी प्रजातियों के वृक्ष बाबूराम पुत्र श्री गनेश के भूमि गाटा संख्या-188 में पाए गए। पक्षकार सोनपाल पुत्र श्री हाकिम सिंह द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी कासगंज के समक्ष जामुन के 12 वृक्षों के पातन हेतु आवेदन दिनांक 05.04.2025 को किया गया जिस पर जॉचोपरान्त प्रभागीय वनाधिकारी कासगंज द्वारा अपने आदेश पत्र संख्या-118 दिनांक 22.07.2025 से इन 12 वृक्षों के पातन की अनुमति विहित शर्तों के अधीन प्रदान किया गया। अनुमति प्राप्त होने के पश्चात सोनपाल पुत्र श्री हाकिम सिंह द्वारा जामुन के 01, पापड़ी के 02, बकेना के 01 तथा यूकैलिप्टस के 01 वृक्षों का पातन कराया गया। अन्य वृक्षों के पातन के पूर्व विपक्षी बाबूराम पुत्र श्री गनेश तथा इनके परिजनों द्वारा इन वृक्षों को अपना बताते हुए विरोध किया गया। किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए वन विभाग द्वारा वृक्षों के पातन को रोक दिया गया। वर्तमान में स्थल पर कटे हुए तथा बिना कटे हुए सभी वृक्ष यथास्थान मौजूद हैं।

राजस्व अभिलेखों तथा निर्णीत वादों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त सभी वृक्ष गाटा संख्या-187 तथा 188 के मध्य रेखा पर स्थित हैं। न्यायालय उप जिलाधिकारी पटियाली जनपद कासगंज के द्वारा उपरोक्त उल्लिखित वाद में पारित आदेश दिनांक 14.04.2024 के क्रम में यह सभी वृक्ष गाटा संख्या-188 में अवस्थित पाए गए हैं, जो बाबूराम पुत्र श्री गनेश की भूमि है। दोनों पक्षों को इस आदेश की भली भौति जानकारी है तथा विपक्षी सोनपाल पुत्र श्री हाकिम के पास इस आदेश के विरुद्ध प्रवर न्यायालय में नियमानुसार वाद/अपील योजित कर अनुतोष प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध है। दोनों पक्षों के लिखित बयान भी दर्ज किए गए हैं जो मूलरूप में संलग्न हैं।

### जाँच निष्कर्ष

स्थलीय एवं अभिलेखीय जॉचोपरान्त यह पाया गया कि प्रकरण वास्तुतः आपसी भूमि विवाद सीमांकन एवं खातेदारी से सम्बन्धित है न कि वन अपराध से। वन अधिनियम अथवा सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत किसी प्रकार का उल्लंघन होना नहीं पाया गया है तथा वन विभाग द्वारा किसी प्रकार की दाण्डिक अथवा विभागीय कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

अतः उपरोक्तानुसार मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेश के अनुपालन में की गई कार्यवाही समस्त संलग्नकों सहित सादर प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

अपर जिलाधिकारी (न्यायिक)  
कासगंज।  
20.02.26

20.02.26  
प्रभागीय वनाधिकारी  
वनाधिकारी कासगंज। प्रभाग  
कासगंज

अनुलग्नक-एक (भाग-एक)

क्रमांक 596

वन प्रभाग का नाम कासगंज

संख्या- ..... वित्तीय वर्ष .....

उत्तर प्रदेश संरक्षण अधिनियम, 1976 के अधीन वृक्ष गिराने की अनुज्ञा के लिए

**आवेदन**

(उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम (यथा संशोधित), 1976 की धारा 5(1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा

विहित)

सेवा में,

उप प्रभागीय वन अधिकारी/प्रभागीय निदेशक/तहसीलदार/उद्यान निरीक्षक/वन विद.....

प्रशासिक अधिकारी

जिला कासगंज

महोदय, मैं/हम सोनपाल पुत्र श्री हाकिम सिंह निवासी ग्राम लौंगपुर

डाक सिद्धपुरा तहसील पहियाली जिला कासगंज

अपने निजी कास्त के वृक्षों को गिराना और हटाना चाहता हूँ / चाहते हैं, जो नीचे दिये गये विवरण के अनुसार

तहसील पहियाली जिला कासगंज में पड़ने वाली मेरी/हमारी भूमि के

प्लॉट सं० 187 रकबा 0.465 में स्थित है:-

क्र.सं०	वृक्ष की प्रजाति	छाती की ऊँचाई पर वृक्ष के तने का व्यास (से.मी.)	वृक्ष को गिराने/हटाने का कारण
1	12 वृक्ष जामुन		खैर/रोगग्रस्त/फलभंग/बाधक
2			
3	कार्यालय		
4	प्रभागीय वनाधिकारी, कासगंज क्रमांक 2270/2321 दिनांक 05/04/2015		
5	सेवा में		
6	क्षेत्रीय वनाधिकारी		
7	पहियाली		
8			
9	उक्त के सम्बन्ध में मौके की जांच कर स्पष्ट		आख्या उपलब्ध करें। साथ ही यह
10	औ स्पष्ट करें कि मौके पर कुल कितने वृक्ष हैं		तथा पातन के पश्चात कितने
11	वृक्ष शेष रहेंगे।		
12			
13	मोबा. 9812000000		
14	वप रि		प्रभागीय वनाधिकारी
15	05/04/25		कासगंज वन प्रभाग,
16	प्रधान लिपिक		कासगंज
17	कासगंज		

2. मैं/हम वृक्षों को गिराने के तुरन्त पश्चात् आने वाली ऋतु की समाप्ति से पूर्व.....जामुन.....  
प्रजाति सं०.....सामान्य.....के वृक्षों का रोपण और संरक्षण करने का वचन देता हूँ/देते हैं।
3. मैं/हम उपर्युक्त वृक्ष (वृक्षों) को गिराऊँगा और हटाऊँगा/गिरायेंगे और हटायेंगे या मैं/हम श्री.....सोहनपाल..... पुत्र श्री.....हाकिम सिंह..... निवासी ग्राम.....लौंगपुर.....  
डाक.....सिधपुरा.....तहसील.....परियाली.....जिला.....कासगंज..... को  
उपर्युक्त वृक्ष/वृक्षों को गिराने और हटाने के लिए अधिकृत करूँगा/करेंगे जिसके लिए नोटरी द्वारा  
सत्यापित.....100.....रूपये के न्यायिकेतर स्टाम्प पत्र पर प्राधिकार पत्र इसके  
साथ संलग्न है।
4. मैं/हम प्रत्येक गिरे हुए वृक्ष के लिए दो पौधों के रोपण और पश्चातवर्ती देख-रेख की प्रतिभूति  
स्वरूप प्रति पौधा 1000 रूपये दर से.....12000/-.....रूपये का डाकघर बचत बैंक  
पासबुक/राष्ट्रीय बचत पत्र, जो सक्षम प्राधिकारी के पदनाम से गिरवी रखी गयी है, संलग्न करता हूँ /  
करते हैं।
5. मैं/ हम वृक्ष को गिराने या आवेदन की अस्वीकृति के सम्बन्ध में रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा सक्षम  
प्राधिकारी के विनिश्चय का पत्र व्यवहार करने के लिए अपना पता युक्त स्टाम्पित लिफाफा संलग्न करता  
हूँ/करते हैं।
6. मैंने / हमने उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के उपबन्धों को पढ़ लिया है और मैं / हम  
उनका पालन करूँगा / करेंगे।
7. मैं / हम सत्यापित करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त सूचनाएँ मेरी/हमारी सर्वोत्तमजानकारी के अनुसार  
सही और सत्य हैं।
8. अनुरोध है कि उपर्युक्त वृक्ष / वृक्षों को गिराने / हटाने की सिफारिश इस आवेदन पत्र के भाग-दो में  
विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी को अग्रसारित करने का कष्ट करें।

संलग्नक :-

1. प्रतिभूति के रूप में डाकघर बचत पास बुक / राष्ट्रीय बचत पत्र (मूल रूप में)।
2. अपना पता युक्त और स्टाम्पित रसीदी रजिस्ट्री डाक का लिफाफा।
3. मूल रूप में न्यायिकेतर स्टाम्प पत्र पर नोटरी द्वारा स्त्यापित मुख्तारनामा (यदि लागू हो)।

आवेदक का हस्ताक्षर.....सोहनपाल.....  
नाम.....सोहनपाल.....  
पुत्र श्री.....हाकिम सिंह.....  
निवासी ग्राम.....लौंगपुर.....डाक.....सिधपुरा.....  
तहसील.....परियाली.....जिला.....कासगंज.....  
पिन कोड.....207246.....

दिनांक.....05/04/2025.....

स्थान.....कासगंज.....

टिप्पणी :

- (1) वन विभाग से क्रय किये गये आवेदन पत्र ही, न कि फोटो प्रतियां स्वीकार होंगे।
- (2) अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के अन्तर्गत)

**ANNEXURE-4**

**कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कासगंज वन प्रभाग, कासगंज।**

(सर्कुलर रोड, उर्मिला कोल्ड स्टोर के सामने कासगंज ई-मेल dfokasganj@gmail.com phone no-05744-247550

पत्रांक 118 /22-1 दिनांक, कासगंज, जुलाई 22, 2025  
सेवा में,

क्षेत्रीय वन अधिकारी,  
पटियाली


विषय:- निजी वृक्षों का पातन एवं अभिवहन।

सन्दर्भ:- पातन अनुज्ञा संख्या 5768051 दिनांक 22.07.2025

सोनपाल पुत्र श्री हाकिम सिंह निवासी ग्राम लोंगपुर, पोस्ट सिद्धपुरा, जिला कासगंज के गाटा संख्या 187/0.465 है0 में स्थिति 12 जामुन वृक्षों की सन्दर्भित पातन अनुज्ञा द्वारा पातन अनुज्ञा उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत आपके कार्यालय का पत्रांक 271/22-1 दिनांक 29.04.2025 के आधार पर जारी की गई है। आपको आदेशित किया जाता है कि

- 1- चालान संख्या- वी0यू0एन0 250024624 दिनांक 22.07.2025 की मूल प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आप चालान को नियमानुसार लेखाबद्ध करें।
- 2- वृक्षों के पातन किये जाने से पूर्व उ0प्र0 वन उपज एवं प्रकाष्ठ परिवहन नियमावली 1978 के अन्तर्गत नियमानुसार अभिवहन शुल्क की धनराशि वसूल करने के उपरान्त ही वन उपज की निकासी दी जाए।
- 3- रिजर्व पेड़ों को पीले रंग के पेन्ट से चिन्हांकित कर सुरक्षित रखा जाए तथा पातन के पश्चात स्थल फोटोग्राफ सहित यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए कि रिजर्व पेड़ों का पातन नहीं किया गया है।
- 4- समय-समय पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0 लखनऊ एवं वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ के निर्देशों का अनुपालन किया जाए।

संलग्नक:- यथोपरि।

  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
कासगंज वन प्रभाग, कासगंज।

वन विभाग (उ० प्र० सरकार)

Department of Forest (Government of Uttar Pradesh)

Your site visit PM IST



## वृक्ष गिराने का अनुज्ञा पत्र

( शासनादेश संख्या :- उत्तर प्रदेश सरकार वन विभाग -2488/14-5-2002-7/93 दिनांक 28/12/2002 )

( अधिनियम की धारा 5(4) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित ) प्रभागीय निदेशक/ प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय सामाजिक वानिकी प्रभाग, 5768051 संख्या दिनांक 22/07/2025

सेवा में

क्षेत्र: ग्रामीण

श्री/श्रीमती/कुमारी सोनपाल

पत्नी/पुत्र/पुत्री

हाकिम सिंह

ज़िला:

कासगंज

श्री:

तहसील: पटियाली

परगना:

सिधपुरा

थाना:

सिधपुरा

डाक: सिधपुरा

ग्राम सभा:

लौंगपुर

गांव:

लौंगपुर

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा -5 के अधीन वृक्ष (वृक्षों) को गिराने के लिए अनुज्ञा पत्र गिराये जाने के सम्बन्ध में आपके आवेदन दिनांक 22/07/2025 और जाँच अधिकारी की सिफारिश के आधार पर वृक्ष / वृक्षों को गिराने / हटाने के लिए नीचे दिए गये विवरण के अनुसार अनुज्ञा प्रदान की जाती है :-

क्रम संख्या	प्रजाति का नाम	132 से.मी. की ऊंचाई पर वृक्ष की गोलाई/परिधि(से.मी. में)	वृक्ष को गिराने का कारण	वन-दरोगा द्वारा दिया गया 132 से.मी. की ऊंचाई पर वृक्ष की गोलाई/परिधि (से.मी.)	वन-दरोगा द्वारा दिया गया वृक्ष को गिराने का कारण
1	जामुन	126	हरा खड़ा कृषि में बाधक	126	हरा खड़ा कृषि में बाधक
2	जामुन	126	हरा खड़ा कृषि में बाधक	126	हरा खड़ा कृषि में बाधक
3	जामुन	127	हरा खड़ा कृषि में बाधक	127	हरा खड़ा कृषि में बाधक
4	जामुन	128	हरा खड़ा कृषि में बाधक	128	हरा खड़ा कृषि में बाधक
5	जामुन	133	हरा खड़ा कृषि में बाधक	133	हरा खड़ा कृषि में बाधक
6	जामुन	134	हरा खड़ा कृषि में बाधक	134	हरा खड़ा कृषि में बाधक
7	जामुन	146	हरा खड़ा कृषि में बाधक	146	हरा खड़ा कृषि में बाधक
8	जामुन	147	हरा खड़ा कृषि में बाधक	147	हरा खड़ा कृषि में बाधक
9	जामुन	156	हरा खड़ा कृषि में बाधक	156	हरा खड़ा कृषि में बाधक
10	जामुन	161	हरा खड़ा कृषि में बाधक	161	हरा खड़ा कृषि में बाधक
11	जामुन	174	हरा खड़ा कृषि में बाधक	174	हरा खड़ा कृषि में बाधक
12	जामुन	174	हरा खड़ा कृषि में बाधक	174	हरा खड़ा कृषि में बाधक

एन एस सी.

020159449273

डाकघर का नाम sidhpura

राशि :

12000.00


संख्या:

**FELLED TREES:**






### ***UNFELLED TREES:***







***FACTUAL STATUS:***





## उद्धरण खतौनी (शासकीय)



उद्धरण क्रमांक : 215973202602378

ग्राम क्रमांक : 215973 ग्राम का नाम (परगना) : लोंगपुर(सिद्धपुरा) तहसील : पटियाली जनपद : कासगंज फसली वर्ष : 1429-1434 (01 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2027) भाग : 1 (1)खाता संख्या : 00381  
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
187	1) सोनपाल / हाकिमसिंह / नि.ग्राम			187(2159730187000012)	0.4650	1) 1/1	1) 0.4650	11.20
कुल गाटे- 1	कुल क्षेत्रफल- 0.4650 (हेक्टेयर)	कुल भू-राजस्व - 11.20 रुपये	कुल अंश का क्षेत्रफल - ( 0.4650)(हेक्टेयर)				0.4650	

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण		खारिज किया गया			दर्ज किया गया	
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)
		187(2159730187000012)			187(2159730187000012)	

(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

1) Aryavart Bank / 22935 / 04-01-2025 / 300000.00 / 202010122025000122935 / सोनपाल(हाकिमसिंह)

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

Data Digitally Signed by: OM PRAKASH(REVENUE INSPECTOR)

दिनांक/समय/स्थान: 17-02-2026 02:46:03 तहसील : पटियाली

यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

मुद्रित कर्ता : SANJEEV KUMAR तहसील : पटियाली

मुद्रित दिनांक एवं समय: 17-02-2026 02:46:03

Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरिफिकेशन <https://upbhulekh.gov.in> Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।

रजिस्ट्रार कानूनी  
तहसील पटियाली  
जनपद कासगंज



# उद्धरण खतौनी (शासकीय)



उद्धरण क्रमांक : 215973202602379

ग्राम क्रमांक : 215973 ग्राम का नाम (परगना) : लोंगपुर(सिद्धपुरा) तहसील : पटियाली जनपद : कासगंज फसली वर्ष : 1429-1434 (01 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2027) भाग : 1 (1)खाता संख्या : 00291

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
188	1) वावूराम / गनेश / नि.ग्राम			188(2159730188000012)	1.0200	1) 1/1	1) 1.0200	25.20
कुल गाटे- 1		कुल क्षेत्रफल- 1.0200 (हेक्टेयर)	कुल भू-राजस्व - 25.20 रुपये	कुल अंश का क्षेत्रफल - ( 1.0200)(हेक्टेयर)			1.0200	

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण		खारिज किया गया			दर्ज किया गया	
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)
		188(2159730188000012)			188(2159730188000012)	

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19) अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

Data Digitally Signed by: OM PRAKASH (REVENUE INSPECTOR)

दिनांक/समय/स्थान: 17-02-2026 02:46:27 तहसील : पटियाली

यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

मुद्रित कर्ता : SANJEEV KUMAR तहसील : पटियाली


मुद्रित दिनांक एवं समय: 17-02-2026 02:46:27

Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन <https://upbhulekh.gov.in> Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।



रजिस्ट्रार काबूबध्ना  
तहसील पटियाली  
जनपद-कासगंज

नजरी-कच 35 राजस्थान साम लौंगपुर परगना सिद्धपुरा जिला  
तहसील-परिपाली जिला वासगाँज



Deshraj Kumar

1702-7026

दापक कुमार सेखर  
अन लैलो  
पटियाली कासगन

# ANNEXURE-7

## प्रतिलिपि खसरा

ग्राम सोनापुर परगना सिद्धपुरा तहसील पटियाली जिला काठगंज फसली सन्वन्धी 140 -

नम्बर खेत	क्षेत्रफल	खतौनी खाता संख्या	खतौनी के भाग 1 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम	खतौनी के भाग 2 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम यदि कोई न हो	सिंचाई का साधन	कृषक (फसली) भूमि का क्षेत्रफल						दो फसली क्षेत्रफल		जिला खसरा के सन्वन्धी के अनुसार आकषित खतौनी फसली वाली भूमि का ब्यारा		प्रत्येक खेत के बड़े हुये वृक्षों की संख्या और किस	टिप्पणी				
						खरीफ क्षेत्रफल			रबी क्षेत्रफल			जायद क्षेत्रफल			दो फसली क्षेत्रफल			जिला खसरा के सन्वन्धी के अनुसार आकषित खतौनी फसली वाली भूमि का ब्यारा			
						फसल का नाम	सिंचित	असिंचित	फसल का नाम	सिंचित	असिंचित	फसल का नाम	सिंचित	असिंचित	सिंचित			असिंचित	भूमि श्रेणी	क्षेत्रफला	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
107	0.465	381	सोनपाल /	X	को	शकल 0.400	-	गेहूँ 0.465	-	-	-	-	-	-	0.400	-	-	-	-	पूछे स्थिति - 10 पालर - 17 कुड़ना - 02 सिंचित - 01 लामुन - 15	

निलपत्रलिपि  
(१५०० निम्नांकित प्राप्ति)

PC/2024  
22/02/2024  
पूजा चौहान  
राजस्व लेखपाल  
क्षेत्र - सिद्धपुरा  
तहसील पटियाली (काठगंज)

36

प्रतिलिपि खसरा ग्राम लौंगपुर

परगना सिद्धपुरा

तहसील पाटणाकी

जिला कासगंज

सन् 1428

फ0 से सन्

37

गाटा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	खतौनी खाते की संख्या	खतौनी के प्रथम भाग वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम	खतौनी के भाग 2 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम यदि कोई हो तो	सिंचाई की रीति और कृषि	कृषिक फसलों वाली भूमि का क्षेत्रफल									दो फसली क्षेत्रफल		मिलान खसरा के स्तम्भ के अनुसार अकृषिक बिना फसल वाला		प्रत्येक पूरे खडे हुये वृक्षों की संख्या और किस्म	टिप्पणी
						खरीफ क्षेत्रफल			रबी क्षेत्रफल			जायद क्षेत्रफल			सिंचाहुआ	अनसिंचा	भूमि की श्रेणी	क्षेत्रफल		
						फसल का नाम	सिंचाहुआ	अनसिंचा	फसल का नाम	सिंचाहुआ	अनसिंचा	फसल का नाम	सिंचाहुआ	अनसिंचा						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
188	1.20	298	वाशराम /	X	वाशराम	0.500	-	गैड	1.000	-	-	-	-	-	0.800	-	-	-	X	X
					वाशराम	0.200	-	वाशराम	0.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
<p>(एक प्रतिलिपि वाशराम नाम है)</p> <p>26-03-2026</p> <p>दीपक कुमार सेखराल</p> <p>वन संचालक</p> <p>पानेवाली कासगंज</p>																				